रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
No. 437] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 557(अ).— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610क और धारा 610ङ के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के उप-खण्ड (क) और धारा 610ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (दस्तावेजों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना और अधिप्रमाणन) नियम, 2006 है।

(2) केन्द्रीय सरकार 16 सितम्बर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको इन नियमों के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 24 के अधीन, अंकीय हस्ताक्षर करने के लिए अनुज्ञा-पत्र अनुदत्त किया गया है ;

(ग) ''अंकीय हस्ताक्षर'' से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया के माध्यम से किसी अभिदाता द्वारा किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है ;

(घ) ''अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र'' से ऐसा अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 35 की उप-धारा (4) के अधीन जारी किया गया है ;

(ङ) ''ई-प्ररूप'' से ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में विहित है ;

(च) ''इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख'' से ऐसा इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख अभिप्रेत है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के उप-खण्ड (न) के अधीन परिभाषित है ;

(छ) ''इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री'' इलैक्ट्रॉनिक निधान या भंडार प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें जानकारी या दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त, भंडारित, संरक्षित और परिरक्षित किए जाते हैं ;

(ज) ''इलैक्ट्रॉनिक डाक (ई-मेल)'' से कम्प्यूटर आधारित संचारतंत्र में, अंकीय रूप में संदेशों का भेजा जाना, प्राप्त करना या अग्रेषित किया जाना अभिप्रेत है ;

(झ) ''रजिस्ट्रार'' से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 की उप-धारा (40) में परिभाषित रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(ञ) "रजिस्ट्रार का अग्रिम कार्यालय" से केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ऐसा कार्यालय अभिप्रेत है जो दस्तावेजों की इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री और उनके निरीक्षण तथा अवलोकन की सुविधा हेतु ई-फाइलिंग की व्यवस्था करता है ;

(ट) "वेब" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित विश्वव्यापी वेब अभिप्रेत है ;

(ठ) "वेबसाइट" से इंटरनेट से संबंधित यह अवस्थिति अभिप्रेत है जो एक या अधिक वेब पेजों का अनुरक्षण करती है ;

(ड) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो कम्पनी अधिनियम, 1956 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में हैं।

3. **इलैक्ट्रॉनिक रीति में फाइल करना और अधिप्रमाणन.**–(1) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल किए जाने या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक ई-फार्म या आवेदन या दस्तावेज या घोषणा पठनीय इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में, पोर्टल दस्तावेज फारमेट में फाइल किया जाएगा और विधिमान्य अंकीय हस्ताक्षर के उपयोग द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रबंध निदेशक, निदेशक या सचिव या व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएगा :

परन्तु जहां दस्तावेज को गैर-न्यायिक स्टांप पर फाइल किया जाना अपेक्षित हो, वहां कम्पनी तदनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप में उन्हें प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त वास्तविक रूप में, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

(2) ई-फार्म, दस्तावेज या आदेश आदि जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल करने या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षत हों, अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रबंध निदेशक, निदेशक या सचिव प्रमाणन प्राधिकारी से ऐसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए अंकीय हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और ऐसा प्रमाणन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन विनिर्देश वर्ग 2 या वर्ग 3 के अधीन न हो।

4. **वेबसाइट का अनुरक्षण.**–केन्द्रीय सरकार, आवेदन ई-फार्म, दस्तावेज और आवेदन आदि फाइल करने, इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री में दस्तावेजों के पुनर्विलोकन और निरीक्षण के लिए निम्नलिखित की स्थापना और अनुरक्षण करेगी–

(i) इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में पहुंच उपबंध करने के लिए कोई वेबसाइट या पोर्टल;

(ii) रजिस्ट्रार के उतने मुख्य कार्यालय जो आवश्यक हों, ऐसे स्थानों पर और ऐसे समयों में जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अवधारित करे ।

5. **इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का अनुरक्षण.**–(1) केन्द्रीय सरकार, एक सुनिश्चित इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की स्थापना और अनुरक्षण करेगी जिसमें इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए दस्तावेजों को भण्डारित किया जाएगा । इस प्रकार स्थापित की गई इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऐसे दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को और उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने को, जो लोक अधिकार क्षेत्र में अपेक्षित हैं इस अधिनियम के अधीन और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथाविहित फीस के संदाय पर समर्थ बनाएगी ।

(2) प्रत्येक दस्तावेज या आवेदन या प्रमाणपत्र या नोटिस इत्यादि, जिन पर रजिस्ट्रार या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करना अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति के अंकीय हस्ताक्षर या प्रणाली द्वारा सृजित प्रणाली के वैध अंकीय हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(3) यथास्थिति, रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार कंपनी को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, निदेशक या दोनों को इलैक्ट्रॉनिक रीति जिसमें कंपनी हमेशा एक वैध इलैक्ट्रॉनिक पता (जैसे ई-मेल, प्रयोक्ता पहचान इत्यादि) जो ऐसी संसूचना को स्वचालित रूप में या अन्यथा प्राप्त करने और पावती देने के लिए सक्षम हो, संसूचना भेज सकेगी।

6. **इलैक्ट्रॉनिक रीति में प्रमाणपत्र को जारी, अनुमोदन आदि करना.**–रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार इलैक्ट्रॉनिक रीति में प्रमाण-पत्र, अनुज्ञप्ति, रसीद, अनुमोदन या पृष्ठांकन की संसूचना या पावती जारी कर सकेगी :

परन्तु यह कि जहां यथास्थिति, रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी, किसी प्रमाण-पत्र, अनुज्ञप्ति, रसीद, पृष्ठांकन, पावती या अनुमोदन इलैक्ट्रॉनिक रीति से जारी करने में सक्षम नहीं है वहां उसके कारणों को लेखबद्ध करके ऐसे प्रामाण-पत्र अनुज्ञप्ति या पृष्ठांकन की संसूचना, पावती या अनुमोदन अपने हस्ताक्षर से अपनी मुहर लगाकर भौतिक रूप से जारी करेगा ।

[फा. सं. 1/4/2006/सी. एल.V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

G.S.R. 557(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Sections 642 and 610B read with Sections 610A and 610E of the Companies Act 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules namely—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006.

(2) The Central Government hereby appoints the 16th day of September, 2006 as the date on which the provisions of these rules shall come into force.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(b) "Certifying Authority" means a person who has been granted a licence to issue a Digital Signature Certificate under Section 24 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(c) "digital signature" means authentication of any electronic record by a subscriber by means of an electronic method or procedure in accordance with the provisions of Section 3 of the Information Technology Act, 2000;

(d) "Digital Signature Certificate" means a Digital Signature Certificate issued under Sub-seciton (4) of Section 35 of the Information Technology Act, 2000;

(e) "e-Form" means a form in the electronic form as prescribed under the Act or rules made thereunder and notified by the Central Government under the Act;

(f) "electronic record" means electronic record as defined under clause (t) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000;

(g) "electronic registry" means an electronic repository or storage system in which the information or documents are received, stored, protected and preserved in electronic form;

(h) "Electronic Mail (E-mail)" means messages sent, received or forwarded in digital form via a computer-based communication mechanism;

(i) "Registrar" means a registrar as defined under Sub-section (40) of Section 2 of the Companies Act, 1956;

(j) "Registrar's Front Office" means an office maintained by the Central Government or an agency authorized by it to facilitate e-filing of documents into the electronic registry and their inspection and viewing;

(k) "web" means the world wide web, as defined in the Information Technology Act, 2000;

(l) "website" means a location connected to the Internet that maintains one or more web pages;

(m) words and expressions used in these rules and not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Companies Act, 1956 and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

3. **Filing and Authentication in the electronic manner.**—(1) Every e-form or application or document or declaration required to be filed or delivered under the Act and rules made thereunder, shall be filed in computer readable electronic form, in portable document format (pdf) and authenticated by a managing director, director or secretary or person specified in the Act for such purpose by the use of a valid digital signature:

Provided that where documents are required to be filed on Non-Judicial Stamp Paper, the company shall submit such documents accordingly in the physical form, in addition to their submission in electronic form.

(2) Every managing director, director or secretary or person specified in the Act for authentication of e-form, documents or application etc., which are required to be filed or delivered under the Act or rules made thereunder, shall obtain a digital signature certificate from the Certifying Authority for the purpose of such authentication and such certificate shall not be valid unless it is of Class II or Class III specification under the Information Technology Act, 2000.

4. **Maintenance of website.**—The Central Government shall set up and maintain —

(i) a website or portal to provide access to the electronic registry; and,

(ii) as many Registrar's front Officers as may be necessary and at sauch places and for such time as Central Government may determine from time to time,

for filing of application e-Forms, documents and applications, etc., viewing and inspection of documents in the electronic registry.

5. **Maintenance of Electronic Registry.**—(1) The Central Government shall set up and maintain a secure electronic registry in which all the documents filed elctronically shall be stored. The electronic registry so set up shall enable public access md inspection of such documents as are required to be in the public domain under the Act on payment of the fees as prescribed under the Act or the rules made thereunder.

(2) Every document or application or certificate or notice etc., required to be signed by the Registrar or an officer of the Central Government under the Act or rules made thereunder, shall be authenticated through a valid digital signature of such person or a system generated digital signature.

(3) The Registrar or the Central Government, as the case may be, may send any communication either to the company or its authorized representative, directors or both in the electronic manner for which the company shall create and maintain at all times a valid electronic address (e.g. E-mail, user Identification etc.) capable of receiving and acknowledging the receipt of such communication, automated or otherwise.

6. **Issue of certificate., approval etc. in the electronic manner.**—The Registrar or the Central Government shall issue certificate, licence, receipt, approval or communicate endorsement or acknowledgement in the electronic manner:

Provided that where the Registrar or an officer of the Central Government, as the case may be, is not able to issue any certificate, licence, receipt, endorsement, acknowledgement or approval in electronic manner for the reasons to be recorded in writing, he may issue such certificate, licence, receipt, or communicate endorsement, acknowledgement or approval in the physical form under manual signature affixing seal of his office.

[F. No. 1/4/2006/CL.V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.